संख्या-112/2022/859/22-2-2021-17(476)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2022*

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगरूप पुत्र श्री रामविशम्भर, निवासी जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगरूप पुत्र श्री रामविशम्भर, जो ककोरा, थाना-जाफरगंज, जनपद-फतेहपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा नाली को लेकर पूर्व से चल रहे विवाद के कारण दिनांक 20.03.1981 को होलिका दहन के बाद हुए झगड़े एवं गाली-गलौज में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं देशी पिस्तौल से गाली मारकर श्रीमती गायत्री देवी की हत्या कारित की गयी तथा रामसनेही नामक व्यक्ति व शीला नामक महिला को घायल किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-372/1981 में भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149, 307/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर के आदेश दिनांक 20.09.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.08.2007 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11.01.2013 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2020 तक 09 वर्ष 07 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष 11 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध से समाज में भय व्याप्त होने जो व्यक्ति विशेष तक सीमित न होकर सामाजिक रूप से घातक होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा दिनांक 20.03.1981 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं देशी पिस्तौल से गोली मारकर श्रीमती गायत्री देवी की हत्या करने एवं रामसनेही नामक व्यक्ति व शीला नामक महिला को घायल कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जगरूप (बन्दी संख्या-659/2013) पुत्र श्री रामविशम्भर, निवासी जनपद-फतेहपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-112/2022/859(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।